



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 9, मंगलवार, शाके 1932-नवम्बर 30, 2010  
Agrahayana 9, Tuesday, Saka 1932-November 30, 2010

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञापितियां।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ  
अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 26, 2010

संख्या प. 4 (11) वक्फ/10:-वक्फ अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 14 (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे वर्णित व्यक्तियों को राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। इनके पद की अवधि पांच वर्ष होगी।

क्र.सं.	नाम सदस्य	निर्वाचक मण्डल का नाम	पता	श्रेणी
1.	श्री अशक अली टाक	मुस्लिम सांसद	बी-9, एम.एल.ए.क्वार्टर्स, जालूपुरा, जयपुर	निर्विरोध निर्वाचित
2.	श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ	मुस्लिम विधायक	सेन्ट स्टीफन्स स्कूल के पास, बलदेव नगर, माकरवाली रोड, अजमेर	निर्विरोध निर्वाचित
3.	श्री जाकिर हुसैन गोसावत	मुस्लिम विधायक	चम्पापुर मस्जिद के पास बस स्टैंड के सामने, मकराना जिला-नागौर	निर्विरोध निर्वाचित
4.	श्री नासिर अली नकवी	स्टेट बार कॉसिल सदस्य	1, किदवई नगर, इमली वाला फाटक, जयपुर	निर्विरोध निर्वाचित
5.	श्री मोहम्मद शौकत कुरैशी	मुतवल्ली	मुस्लिम मुसाफिर खाना, मोती डूंगरी रोड, जयपुर	निर्वाचित
6.	श्री मोहम्मद युसूफ खान	मुतवल्ली	5/12, अन्दर कोट, अजमेर	निर्वाचित
7.	श्री लियाकत अली खान	प्रमुख मुस्लिम संगठन	61, किदवई नगर, इमली वाला फाटक, जयपुर	मनोनीत (धारा 14 (1) (सी) के अन्तर्गत)
8.	श्री हैदर रजा	(शिया) प्रमुख मुस्लिम संगठन	117, गली-1, सरगरा कॉलोनी, अपोजिट शिप हाऊस, जोधपुर	मनोनीत (धारा 14 (1) (सी) के अन्तर्गत)
9.	श्री मौलवी जुबैर अहमद	इस्लामिक विद्वान	इब्राहित मंजिल, बाईपास, किशनगढ़, अलवर	मनोनीत (धारा 14 (1) (डी) के अन्तर्गत)
10.	श्री मौलवी फैयाज अहमद,	इस्लामिक विद्वान	मस्जिद लखारान, मौहल्ला लखारान, नीयर माणक चौक, जोधपुर	मनोनीत (धारा 14 (1) (डी) के अन्तर्गत)
11.	श्री उमर दीन खान,	आर.ए.एस. ऑफिसर	18, मन्त हाऊस, वीर विहार कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर	मनोनीत (धारा 14 (1) (ई) के अन्तर्गत)

राज्यपाल की आज्ञा से,  
रोहित आर. ब्राण्डन,  
प्रमुख शासन सचिव,  
अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ।